न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 11/2025 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. बंसीलाल पिता छगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मोटी बस्सी, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रतना पिता वेलजी जाति भील निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रमेश पिता नाथु जाति भील निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. गढी
दि॰ 08.05.2025 प्र0 सं0 679/2016

———::———

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र कुमार भटट अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2

———::———

निर्णय **दिनांक 29.05.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1624/7786 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोटी बस्ती स्थित है, जिसका उपयोग–उपभोग वादी करता चला आ रहा है। वादी के अलावा अन्य किसी का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है, किन्तु आज से करीब 15 दिन पूर्व प्रतिवादीगण अपने साथ मजदूर लेकर आये एवं अतिक्रमण कर दोनों ने झोंपड़िया बना दी। वादी को जैसे ही जानकारी हुई मौके पर जाकर समझाने का प्रयास किया तो दोनों लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये तथा कहा कि यहां चले जाओ वरना हम एट्रोसिटी एवं बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर फंसा देगें। प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जो गैर–कानूनी है। अतः प्रतिवादीगण को आज्ञापक आदेश से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

2. प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण पैतृक समय से मवेशियों के बॉधने के बाड़े एवं फसल रखने हेतु उपयोग करते आ रहे है। वादी वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। वादी ने अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर मात्र कागजों में आंवटन करवाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकीयां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 08.05.2025 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 28.11.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का आराजी नम्बर 7786/1624 रकबा 0.0600 हैक्टेयर पर कब्जा बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है। मौके पर अपीलान्ट का ही कब्जा है। रेस्पोडेन्टगण उक्त जमीन से अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट ने तनकी नम्बर 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड पर मौके पर काबिज होने के साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित कराया है तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 3 को साबित कराने में असफल रहें है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 जो अनुतोष की तनकी थी। वादी/अपीलान्ट अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा गलत आधारों पर आंवटन अपने नाम करवाकर रेस्पोडेन्टगण को मौके से बेदखल करना चाहता है। अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मिलान खसरा अनुसार विवादित आराजी का मूल नम्बर 1624 रकबा 0.1200 हैक्टेयर था, जिसमें से आवंटन आदेश दिनांक 10.03.2005 से 0.0600 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट बंसीलाल को आवंटित हुई तथा 0.0600 हैक्टेयर भूमि हरिवल्लभ को आवंटित हुई। उक्त आवंटन आदेश के क्रम संख्या 36 पर अपीलान्ट बंसीलाल का नाम एवं क्रम संख्या 34 हरिवल्लभ का नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 441 से अपीलान्ट के नाम उक्त आवंटन का बंटा नम्बर 7786/1624 रकबा 0.0600 हैक्टेयर स्वीकृत हुआ तथा नामान्तरण संख्या 434 से हरिवल्लभ के नाम बंटा नम्बर 7777/1624 रकबा 0.0600 हैक्टेयर स्वीकृत हुआ। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट रतना व रमेश विवादित भूमि के खातेदार नहीं है किन्तु उन्होंने विवादित भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताया है, जबकि अपीलान्ट/वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण मय 15 दिन पूर्व कब्जा कर झोपड़ी बनायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर वाद में आराजी नम्बर 1624/7786 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि अंकित है, जबकि खाते में 7786/1624 अंकित है। इसके अलावा वाद खारिज करने का आधार प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा भी माना है, जबकि प्रतिवादीगण के कब्जे का कोई ठोस आधार नहीं है न ही वे विवादित भूमि के खातेदार है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है,

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2025 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को मध्यनजर रखते हुये उपलब्ध साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.07.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

29.5.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर